संचिका सं0–15 / डी0 एल0 ए0–पटना (रा0 उ0 प0) –01 / 2013–291 / रा0 पटना, दि0–31 / 01 / 2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, तारीखः.........................

सं...रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–मुस्तफापुर, थाना नं0–72, सर्वे थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–मुस्तफापुर, थाना नं0–72 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 8.67 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या–232, 252, 262, 264, 266, 274, 275, 276, 282, 283, 324, 328, 330, 334, 340 एवं 341 सभी अंश भाग है, और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर :	खेसरा संख्या–232 अंश, 252 अंश, 262 अंश, 263 अंश, 260 अंश, 261 अंश, 274 अंश, 275 अंश, 276 अंश, 283 अंश, 283 अंश, 324 अंश, 328 अंश, 330 अंश, 334 अंश, 336 अंश, 337 अंश, 325 अंश ।
पूरब :	खेसरा संख्या–248 अंश, 247 अंश, 353 अंश, 350 अंश, 263 अंश, 265 अंश, 275 अंश, 276 अंश, 277 अंश, 284 अंश, 284 अंश, 334 अंश, 325 अंश, 328 अंश, 333 अंश, 335 अंश, 346 अंश, 331 अंश।
दक्षिण :	खेसरा संख्या–233 अंश, 232 अंश, 246 अंश, 263 अंश, 264 अंश, 266 अंश, 274 अंश, 275 अंश, 276 अंश, 282 अंश, 282 अंश, 331 अंश, 341 अंश, 340 अंश ।
पश्चिम :	खेसरा संख्या–231 अंश, 251 अंश, 261 अंश, 266 अंश, 259 अंश, 263 अंश, 274 अंश, 275 अंश, 280 अंश, 330 अंश, 329 अंश, 341 अंश, 324 अंश, 333 अंश, 329 अंश, 340 अंश ।

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे **उप महाप्रबंधक, तकनीकी परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिहार स्टेट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, बिहारशरीफ**, के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होगें।

समाहर्त्ता
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

E/BSRDC/BAKAST ONLY/ADHISOOCHNA

ज्ञापांक सं0– 291/रा० दिनांक:– 31-01-13

1. प्रतिलिपि तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदा0, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियां इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

31/1/13

सरकार के अवर सचिव।